ISSN (P) : 2321-290X ★ (E) 2349-980X

Vol-II * ISSUE VII * MARCH-2015

RNI No. : UPBIL/2013/55327

Indexed with Google scholar

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

# Shrinkhala

# श्रृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 SHRINKHALA : VOL-II * ISSUE-VII* March-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

# Contents


| S. No. | Particulars | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | **Waste Heat Utilization in Vapour Absorption Refrigeration System**<br>Gajanand Rathor, D.K. Jain & Gourav Goswami, Kota | 01-03 |
| 2 | **A Study on Problems Faced by Dairy Farmers in Supplying Milk to Cooperative and Private Dairy Firms with Reference to Ahmednagar District**<br>Vaibhav N. Ubale & S. M Vadgule, Pune | 04-07 |
| 3 | **Women Empowerment and Self Help Groups : A Study of Urban and Rural Women Self Help Groups of District Aligarh**<br>Shazia Manzoor & Farzana Gulzar, Srinagar | 08-15 |
| 4 | **Plastic Commodities A and Associated Risks in the Households of AMC (Asansol Municipal Corporation), West Bengal, India**<br>Sanjeev Pandey, Asansol | 16-19 |
| 5 | **Effects of Mercury and its Antagonistic Effect with Magnesium and Sucrose on Growth and NR Activity in *Hordium Vulgare (L.)***<br>Nitika, Meerut | 20-24 |
| 6 | **Juvenomimetic & Larvicidal Effects of *Aloe Vera* & *Bryophyllum Pinnatum* Extracts Against the Larvae of Confused Flour Beetles**<br>Devendra Prasad Yadav, Amit Priyadarshi & O.P. Bhagat, Patna | 25-27 |
| 7 | **Impacts of Stone Quarrying on Ambient Air Quality**<br>Rajesh Kumar, Ajmer, M.M. Ranga, Ambikapur & Shikha Mathur, Ajmer | 28-30 |
| 8 | **Significance and Impact of Moral and Value Education in India**<br>Seraphinus Kispotta, Bilaspur | 31-33 |
| 9 | **Level of Hospitality in Hotels (A Case Study of Jaipur District)**<br>Pawan Aswal, Jaipur | 34-37 |
| 10 | **Kharavela and Jain Cave Architectures in Udayagiri**<br>Suchitra Das, Bhubaneswar | 38-40 |
| 11 | **Terrorism : A Threat to Democracy in the Post Modern Era**<br>Anju Shukla, Kanpur Dehat | 41-43 |
| 12 | **Ugly Face of Rape Among Female Dalits in Western Uttar Pradesh : A Sociological Study**<br>Sushila, GB Nagar | 44-46 |
| 13 | **Violence Against Old Women: A Case Study of Himachal Pradesh**<br>Sujit Surroch, Baijnath & Anita Surroch, Palampur | 47-52 |
| 14 | **Women Empowerment In India : Primitiveness of the Reformists and Economists**<br>Rashmi Pandey, Kanpur Dehat | 53-55 |
| 15 | **Life Skills – Approaches to Teach Life and Skills**<br>Harish.R, Tumkur | 56-60 |
| 16 | **Alternative Sexualities and "Other" Gender Identities in Select Plays of Mahesh Dattani ("on A Muggy Night in Mumbai","Bravely Fought the Queen" and "Seven Steps Round the Fire"): A Critical Perspective**<br>Modhurai Gangopadhyay, Asansol | 61-63 |
| 17 | **Pockets in Indian Garments: Historical Perspective**<br>Shilpi Mahere, Rajasthan & Pankaj Gill, Haryana | 64-67 |
| 18 | **उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के विभिन्न आयाम :एक अध्ययन**<br>एस0 जे0 श्रीवास्तव एवं अर्चना यादव, कानपुर | 68-72 |
| 19 | **कृषि का व्यवसायीकरण**<br>मंजुलता कश्यप, जांजगीर | 73-76 |
| 20 | **दलित आन्दोलन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दलितों की आर्थिक स्थिति**<br>गोपाल गुप्ता, अलीगढ | 77-82 |
| 21 | **जयपुर जिले के जल संसाधनो पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव एक भौगोलिक अध्ययन**<br>शंकर लाल एवं सतीश कुमार दायमा, जयपुर | 83-85 |
| 22 | **वर्तमान में सम्राट अशोक के शिलालेखों की उपयोगिता**<br>सुष्मिता, दिल्ली | 86-90 |
| 23 | **मुगलकालीन स्त्रोतों में पर्यावरण पारिस्थितिकी**<br>माधुरी गुप्ता, दौसा | 91-94 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | **भारत पाक संघर्षो में चीन की नीति एक अध्ययन**<br>के. एच. वासनिक, अमरावती | 95-98 |
| 25 | **अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह और मानवाधिकार**<br>पूनम बजाज, श्रीगंगानगर | 99-100 |
| 26 | **पर्यावरण शिक्षा एक वैश्विक परिदृश्य**<br>सुषमा कमल, राजस्थान एवं विपिन सिंह, उन्नाव | 101-102 |
| 27 | **उच्च शिक्षा क्षेत्र के शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर की माप एवं परिकल्पना परीक्षण**<br>सरिता गोयल, जबलपुर | 103-107 |
| 28 | **कार्यरत व अकार्यरत महिलाओं की सन्तानों में आत्मविश्वास का अध्ययन**<br>दीपा स्वामी एवं प्रेम गुर्जर, जोधपुर | 108-110 |
| 29 | **भारतीय और पाश्चात्य जीवन के केन्द्र में स्त्री संदर्भ : एक जमीन पर**<br>बिजेन्द्र कुमार, दुर्गापुर | 111-114 |

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
SHRINKHALA : VOL-II * ISSUE-VII March-2015

# उच्च शिक्षा क्षेत्र के शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर की माप एवं परिकल्पना परीक्षण

**सरिता गोयल**
सहायक अध्यापक,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
गुरू नानक महिला महाविद्यालय,
जबलपुर

**सारांश**

समाज के विभिन्न परिवेश में महिलायें कार्यों का संपादन करती हैं। समाज का प्रत्येक सदस्य परिवेश के अनुसार अपने को समायोजित करता है। देष को गरीबी से ऊपर उठाने का निश्चित तथा एक मात्र तरीका देश की महिलाओं को शिक्षित करना तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं में जागरुकता उत्पन्न करने एवं उनके विकास हेतु अनेक शासकीय नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण शासन द्वारा किया जाता रहा है। महिलायें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में जागरुक होकर आत्मनिर्भर हो रही हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में उच्च शिक्षा में कार्यरत महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके शिक्षा के प्रति व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न घटकों के प्रति संतुष्टि स्तर को जानने का प्रयास किया गया है। कामकाजी महिलाओं के संबंध में भर्ती, चयन, पदोन्नति, पदावनति, कार्यसमय, स्थानांतरण, वेतन और सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कामाकाजी महिलाओं का इन घटकों के प्रति संतुष्ट होना अति आवश्यक है तभी वह शिक्षा क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करने में सक्षम हो सकती हैं

**मुख्य शब्द :** शिक्षा, संतुष्टि स्तर, कामकाजी महिलायें।

**परिचय**

1970 के दशक से महिला कल्याण की चर्चा तीव्र गति से की गई एवं सन् 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रुप में बनाये जाने के बाद से ही महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठाया जाने लगा। इन मंचों के माध्यम से महिलाओं की मांग सामने आने लगी और इन मांगों को पूर्णता प्रदान करने का कार्य सरकारी नीतियों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की स्थापना की, यह विभाग महिलाओं के विकास के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक महिलाओं एवं पुरुषों को समान माना गया है। संसद के द्वारा समय–समय पर नीति निर्देशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के लिये कानून बनाये गये हैं। धारा 38 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे सभी को आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके। कार्यरत महिलाओं के संरक्षण के लिये बनाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं कानूनों का संक्षिप्त उल्लेख यहां प्रदान किया जा रहा है–

**समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976**

इसमें महिलाओं तथा पुरुषों को समान माना गया है तथा समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है।

**कारखाना अधिनियम 1948**

यह अधिनियम कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, काम के घंटे तथा अल्प व्यस्कों को नियोजित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

**प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961**

कामकाजी मलिाओं के लिये यह एक विशेष कानून है। इस कानून के तहत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें प्रस्तुति से पूर्व एवं पश्चात 6 सप्ताह का अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

**मातृत्व सुविधा अधिनियम 1961 संशोधित 1987**

कामकाजी महिलाओं का शोषण रोकने व माँ और बच्चे के स्वास्थ्य व हितों की रक्षा के लिये मातृत्व सुविधा अधिनियम बनाया गया तथा 1987 में संशोधित किया गया।

**महिला हैसियत आयोग 1946**

इसका निर्माण महिलाओं को जागृत करने और राजनीतिक विचार विमर्श की ओर अग्रसर करने के लिये व महिलाओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया।

**साहित्य समीक्षा**

**प्रज्ञा शर्मा (2001)**

अपनी पुस्तक में महिला विकास और सशक्तिकरण में महिलाओं की दशा का वर्णन करते हुए बतलाया है कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन आया है वह 18 वीं शताब्दी, 19 वीं शताब्दी में समाज सुधारकों के कठिन प्रयास के फलस्वरुप आया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये महिला संगठनों के द्वारा अथक प्रयास किये गये व कानूनों का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में परिवर्तन स्पष्ट रुप से दिखाई दे रहा है।

**डॉ. गीताजंली (2001)**

अपने शोध पत्र में भारतीय समाज में स्त्रियों व पुरुषों के कार्यों, अधिकारों और स्थितियों पर दृष्टि डालने से यह प्रतीत होता है कि वेतन भोगी महिलायें जो विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।

**सुषमा कुलकर्णी (2002)**

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन में महिलाओं में पाई जाने वाली पेशेवर दक्षता का सर्वेक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में महिलाओं की वास्तविक कार्यों में भागीदारी काफी कम है। प्रशासनिक पदों पर केवल 5.2 प्रतिशत महिलायें कार्यरत है। महिलाओं में आत्मविश्वास, शिक्षा, निर्णयन आदि का अभाव उनकी भागीदारी कम होने के प्रमुख कारण हैं, इसलिये महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

**रमणिका गुप्ता (2006)**

लेखिका ने अपनी पुस्तक में कामकाजी स्त्रियों के प्रति मानसिकता में बदलाव व महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया हैं। इनका मानना है कि भारत की सामाजिक स्थितियों के मद्देनजर स्त्रियों के लिये कुछ ऐसे काम आरक्षित होने चाहिए, जो केवल महिलायें सहजता से संपन्न कर सकती हैं।

**डॉ. मीनाक्षी (2012)**

इन्होंने ने अपनी पुस्तक "कामकाजी महिलायें" में महानगरों में नौकरी करने वाली मध्यमवर्गीय महिलाओं की उपलब्धियों के साथ–साथ समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की है।

**शोध के उद्देश्य**

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार है–

1. उच्च शिक्षा क्षेत्र की शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा क्षेत्र के शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर को ज्ञात करना।
3. महिलाओं के स्वंय की आय पर अधिकार को ज्ञात करना।

**शोध परिकल्पना**

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना इस प्रकार है–

1. उच्च शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं का संतुष्टि स्तर उच्च है।

**शोधप्रविधि**

प्रस्तुत शोधपत्र प्राथमिक व द्वितीयक संमकों पर आधारित है। प्राथमिक समंकों का सकंलन प्रश्नावली/अनुसूची की सहायता से किया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शासकीय महिलाओं द्वारा प्रश्नावली/अनुसूची को प्रदान करके उनसे प्रश्नों के उत्तर भरवायें गये हैं। प्रश्नावली अनुसूची से प्राप्त उत्तरों के आधार पर समंकों का वर्गीकरण व सारणीयन किया गया है, तत्पश्चात् समंकों का विश्लेषण कर संतुष्टि स्तर की माप की गई है।

**शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के संतुष्टि स्तर के निर्धारक घटक :**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर की माप हेतु निम्नलिखित घटकों का निर्धारण किया गया है :

1. वेतन/पारिश्रमिक,
2. कार्य अवधि,
3. अवकाश संबंधी छूटें,
4. पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि,
5. आपसी सहयोग व समन्वय,
6. अनुलाभ,
7. सामाजिक सुरक्षा।

संतुष्टि स्तर मापन हेतु प्रश्न व आबंटित अंक

**(अ) प्रश्न :** संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने के लिए चयनित प्रश्न इस प्रकार है :

1. शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को कार्य व योग्यता के आधार पर वेतन प्रदान किया जाता हैं।
2. शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलायें कार्य अवधि से संतुष्ट है।
3. शासकीय क्षेत्रों में अवकाश संबंधी व स्वास्थ्य संबंधी अवकाश में छूट प्राप्त है।
4. शासकीय क्षेत्रों में पदोन्नति व वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त होते है।
5. शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य आपसी सहयोग व समन्वय है।
6. शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को अनुलाभ प्राप्त हो रहा है।
7. शासकीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

**(ब) संतुष्टि स्तर मापन हेतु अंकों का विभाजन :**

संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने के लिए शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को चार विकल्प दिये गये । (अ) उत्कृष्ट (ब) अच्छी (स) संतोषजनक(द) असंतोषजनक

इन चारों विकल्पों/संतुष्टि स्तर के लिए आबंटित अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है

| संतुष्टि स्तर/प्रतिकिया | आबंटित अंक |
|---|---|
| उत्कृष्ट | 8–10 |
| अच्छी | 6–8 |
| संतोषजनक | 4–6 |
| असंतोषजनक | 0–4 |

उत्कृष्ट सेवाओं/प्रतिक्रियाओं के लिए 8 से 10 अंक, अच्छी सेवाओं के लिए 6 से 8 अंक, संतोषजनक सेवाओं के लिए 4 से 6 अंक और असंतोषजनक/कुछ नहीं कह सकते जैसी सेवाओं/प्रतिक्रियाओं के लिए 0 से 4 अंक निर्धारित किये गये ।

**संतुष्टि स्तर की माप**

**औसत अंकों की गणना**

संतुष्टि स्तर के सभी निर्धारकों के उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक और असंतोषजनक स्तर के लिये औसत अंकों की गणना की गयी है।

$$\text{औसत अंक} = \frac{\text{कुल अंक}}{\text{हितग्राहियों की संख्या}}$$

**संतुष्टि निर्देशांक (Satisfaction Index)**

प्रत्येक घटक के सभी संतुष्टि स्तरों के लिए संतुष्टि निर्देशांक की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है :

$$SIn = \frac{XnNn}{Tn}$$

SIn = n वें घटक के लिए संतुष्टि निर्देशांक,
Xn = n वें घटक के लिए औसत अंक,
Nn = n वें घटक के लिए संतुष्टि को व्यक्त करने वाली महिलाओं संख्या,
Tn = n वें घटक के सभी संतुष्टि स्तरों को व्यक्त करने वाली महिलाओं की संख्या।

**सापेक्षिक महत्व का निर्धारण व गणना**

संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाले विभिन्न घटकों के प्रति, महिलाओं का सापेक्षिक महत्व क्रम अलग–अलग हो सकता है? क्योंकि प्रत्येक घटक के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया व अनुमान भिन्न हो सकती है। महिलायें किन घटकों को अधिक वरीयता प्रदान करता है? अथवा वे कौन से घटक हैं जो कि उसकी संतुष्टि को बढ़ाते हैं? यह जानने के उद्देश्य से प्रत्येक महिला से सर्वोच्च वरीयता वाले चार घटकों का चयन करने का आग्रह किया गया है।

**अंतिम संतुष्टि निर्देशांक**

महिलाओं के संतुष्टि निर्देशांक और सापेक्षिक महत्व की सहायता से अंतिम संतुष्टि निर्देशांक की गणना की गई है।

**निर्वाचन**

**संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाले औसत अंकों का वितरण**

**तालिका क्रमांक 1**

**औसत अंकों का वितरण**

| क्र. | घटक | प्रतिक्रिया हेतु औसत अंकों का वितरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्कृष्ट (X1) | अच्छी (X2) | संतोष जनक (X3) | असंतोष जनक (X4) |
| 1 | वेतन/पारिश्रमिक | 8.67 | 6.57 | 4.55 | 2.5 |
| 2 | कार्य अवधि | 8.35 | 6.3 | 4.62 | 3 |
| 3 | अवकाश संबंधी छूटें | 8.44 | 7.8 | 4.54 | 2.43 |
| 4 | पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि | 8.38 | 6.56 | 4.55 | 3 |
| 5 | आपसी सहयोग व समन्वय | - | 6.24 | 4.44 | 1.32 |
| 6 | अनुलाभ, | 8.38 | 6.36 | 4.65 | 3 |
| 7 | सामाजिक सुरक्षा | 9.24 | 6.57 | 4.56 | 3 |

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित

**तालिका क्रमांक 2**

**संतुष्टि स्तर/प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली महिलाओं की संख्या**

| क. | घटक | संतुष्टि स्तर/प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्कृष्ट (n1) | अच्छी (n2) | संतोष जनक (n3) | असंतोष जनक (n4) |
| 1 | वेतन/पारिश्रमिक | 30 | 35 | 51 | 4 |
| 2 | कार्य अवधि | 20 | 50 | 40 | 10 |
| 3 | अवकाश संबंधी छूटें | 41 | 50 | 22 | 7 |
| 4 | पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि | 13 | 50 | 27 | 30 |
| 5 | आपसी सहयोग व समन्वय | . | 25 | 58 | 37 |
| 6 | अनुलाभ, | 29 | 39 | 34 | 18 |
| 7 | सामाजिक सुरक्षा | 50 | 28 | 32 | 10 |
| | कुल | 183 | 277 | 264 | 116 |

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित, ( ) कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1 में संतुष्टि स्तर के विभिन्न निर्धारकों के संबंध में संतुष्टि स्तर (उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक, व असंतोषजनक) व्यक्त करने के लिये अगणित औसत अंकों का वितरण दर्शाया गया है, जबकि तालिका क्रमांक 2 में प्रत्येक घटक के लिये उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक, व असंतोषजनक संतुष्टि स्तर को दर्शाया गया है।

**संतुष्टि निर्देशांक व कोटिक्रम**

प्रत्येक घटक के लिए उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक, व असंतोषजनक संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाले औसत अंकों और संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाली महिलाओं की संख्या की सहायता से पूर्व में

उल्लेखित सूत्र की सहायता से अगणित संतुष्टि निर्देशांक व कोटिक्रम को तालिका क्रमांक 3 में दिखाया गया है–

**तालिका क्रमांक 3**
**संतुष्टि निर्देशांक व कोटि क्रम**

| क्रं. | घटक | संतुष्टि निर्देशांक | कोटि क्रम |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन/पारिश्रमिक | 6.1 | 3 |
| 2 | कार्य अवधि | 5.81 | 5 |
| 3 | अवकाश संबंधी छूटें | 7.11 | 1 |
| 4 | पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि | 4.92 | 6 |
| 5 | आपसी सहयोग व समन्वय | 3.83 | 7 |
| 6 | अनुलाभ, | 5.86 | 4 |
| 7 | सामाजिक सुरक्षा | 6.85 | 2 |

स्रोत– तालिका क्रमांक 1 व 2 पर आधारित

तालिका क्रमांक 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि महिलाओं का विभिन्न घटकों के प्रति संतुष्टि स्तर अलग–अलग है। अवकाश एवं स्वास्थय संबंधी छूटों के प्रति संतुष्टि स्तर का कोटिक्रम 1 है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति महिलाओं के संतुष्टि स्तर का कोटिक्रम द्वितीय हैं। इसी प्रकार तृतीय क्रम पर वेतन/पारिश्रमिक, चतुर्थ क्रम पर अनुलाभ, और पांचवें क्रम पर कार्य अवधि से संतुष्ट हैं। संतुष्टि क्रम के छठवें, व सातवें क्रम पर क्रमशः पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि, आपसी सहयोग व समन्वय को उचित मानते हैं।

**सापेक्षिक महत्व (Relative Importance)**

महिलाओं से सेवाओं की कुशलता की माप हेतु, संतुष्टि स्तर के निर्धारकों में से प्रत्येक के लिए सापेक्षिक महत्व निर्धारण हेतु महिलाओं से आग्रह किया गया। महिलाओं से यह पूछा गया कि वे इन घटकों में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इस प्रकार उनसे किन्हीं चार घटकों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ क्रम (सापेक्षिक महत्व/वरीयता) प्रदान करने के लिए कहा गया। महत्वक्रम की सहायता से सापेक्षिक महत्व व अंतिम संतुष्टि निर्देशांक की रचना की गई। महत्वक्रम को अंकीय/रुप में व्यक्त करने के उद्देश्य से, अंको का विभाजन इस प्रकार किया गया है–

**तालिका क्रमांक 4**
**महत्वक्रम**

| महत्वक्रम | अंक |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 7.5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2.5 |

महिलाओं से प्रत्येक घटक के लिए व्यक्त किये गए महत्वक्रम के आधार पर प्राप्त अंक व अंक प्रदान करने वाले महिलाओं की संख्या को तालिका क्रमांक 5 में दर्शाया गया है–

**तालिका क्रमांक 5**
**घटकवार महत्वक्रम (उ)के अनुसार महिलाओं की संख्या (द)व सापेक्षिक महत्व**

| क्रं | घटक | महत्वक्रम (उ)हितग्राहियों की संख्या (द) | | | | कुल हितग्राही | सापेक्षिक महत्व | कोटि क्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 (10अंक) | 2 (7.5अंक) | 3 (5अंक) | 4 (2.5अंक) | | | |
| 1 | वेतन/पारिश्रमिक | 64 | 32 | 20 | - | 116 | 8.45 | 1 |
| 2 | कार्य अवधि | - | - | 16 | 20 | 36 | 3.61 | 6 |
| 3 | अवकाश संबंधी छूटें | - | 4 | 8 | 4 | 16 | 5 | 4 |
| 4 | पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि | - | 24 | 16 | 32 | 72 | 4.72 | 5 |
| 5 | आपसी सहयोग व समन्वय | - | 4 | 4 | 20 | 28 | 3.57 | 7 |
| 6 | अनुलाभ, | 20 | 28 | 20 | 28 | 96 | 6.04 | 3 |
| 7 | सामाजिक सुरक्षा | 36 | 28 | 40 | 12 | 116 | 6.89 | 2 |

स्रोत– सर्वेक्षण पर आधारित

सापेक्षिक महत्व की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया।

$$RI = \frac{(\sum mn)}{N}$$

m = n वें घटक के महत्वक्रम का आंकिक मूल्य
n = n वें घटक के महत्वक्रम के लिए महिलाओं की संख्या
N = समस्त महत्व कमों के लिए महिलाओं की संख्या

तालिका क्रमांक 5 में प्रत्येक घटक के लिए आगणित सापेक्षिक महत्व व सापेक्षिक महत्व का कोटिक्रम दर्शाया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि : महिलायें वेतन/पारिश्रमिक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। द्वितीय क्रम पर सामाजिक सुरक्षा, तृतीय क्रम पर अनुलाभ, चतुर्थ क्रम पर अवकाश संबंधी छूटें, पांचवें महत्वक्रम पर पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि, छठवे क्रम पर कार्य अवधि, व अंतिम सातवें क्रम पर आपसी सहयोग एवं समन्वय का महत्वपूर्ण मानती हैं।

**अंतिम संतुष्टि निर्देशांक**

महिलाओं के संतुष्टि निर्देशांक (SI) व सापेक्षिक महत्व (RI ) की सहायता से महिलाओं के संतुष्टि स्तर के संबंध में चयनित सभी महत्वपूर्ण घटकों के लिए अंतिम संतुष्टि निर्देशांक (USI) की गणना की गई है। अंतिम संतुष्टि निर्देशांक की गणना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं के विभिन्न घटकों के लिए अगणित संतुष्टि स्तर और इन घटकों के प्रति महिलाओं की अपेक्षाओं के

आधार पर संतुष्टि की माप करना है, इसे अंतिम संतुष्टि निर्देशांक के रुप में व्यक्त किया गया है।
अंतिम संतुष्टि निर्देशांक (USI) की गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की गई है।

**तालिका क्रमांक 6**
**अंतिम संतुष्टि निर्देशांक**

| क्रं | घटक | संतुष्टि निर्देशांक | सापेक्षिक महत्व | SIxRI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वेतन / पारिश्रमिक | 6.1 | 8.45 | 51.54 |
| 2 | कार्य अवधि | 5.81 | 3.61 | 20.97 |
| 3 | अवकाश संबंधी छूटें | 7.11 | 5 | 35.55 |
| 4 | पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्वि | 4.92 | 4.72 | 23.22 |
| 5 | आपसी सहयोग व समन्वय | 3.83 | 3.57 | 13.67 |
| 6 | अनुलाभ, | 5.86 | 6.04 | 35.39 |
| 7 | सामाजिक सुरक्षा | 6.85 | 6.89 | 47.20 |
| | कुल | - | 38.28 | 227.54 |

स्रोत– तालिका क्रमांक 3 व 5 पर आधारित

$$USI = \frac{\sum SI.RI}{\sum RI}$$

∑SI.RI = घटक के संतुष्टि निर्देशांक व सापेक्षिक महत्व का गुणनफल
∑RI = सभी घटकों के लिए सापेक्षिक महत्व का योग

$$USI = \frac{227.54}{38.28}$$

USI = 59.4 or 5.94

उच्च शिक्षा क्षेत्र के संवाओं के प्रति महिलाओं का संतुष्टि स्तर 59.4 प्रतिशत है।

**परिकल्पना परीक्षण**

उच्च शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं का संतुष्टि स्तर उच्च है।

**तालिका क्रमांक 8**
**महिलाओं का संतुष्टि स्तर**

| घटक | SI | Rank1 R1 | RI | Rank2 R2 | d=R1-R2 | $d^2$ | 't' Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1 | 3 | 8.45 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 5.81 | 5 | 3.61 | 6 | -1 | 1 | |
| 3 | 7.11 | 1 | 5 | 4 | -3 | 9 | CV<TV |
| 4 | 4.92 | 6 | 4.72 | 5 | 1 | 1 | 2.28< 2.571 |
| 5 | 3.83 | 7 | 3.57 | 7 | 0 | 0 | $H_0$ Accepted |
| 6 | 5.86 | 4 | 6.04 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 6.85 | 2 | 6.89 | 2 | 0 | 0 | |
| | - | - | - | - | - | 16 | |

स्रोत– तालिका क्रमांक 6 पर आधारित

श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक $\gamma_{Rank}=1-\frac{6(\sum d^2)}{n(n^2-1)}$

$$\gamma_{Rank}=0.7143$$

$$t=r\sqrt{\frac{(N-2)}{(1-r^2)}}$$

t= 2.28

तालिका क्रमांक 8 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 5% सार्थकता स्तर पर 5 स्वातंत्रय स्तर के लिये 't' का मूल्य 2.571 है। गणना द्वारा प्राप्त 't' का मूल्य 2.28 है, जो कि सारणी मूल्य से बहुत कम है, अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं का संतुष्टि स्तर उच्च है।

**निष्कर्ष–**

अर्द्ध भार्या मनुयसस्य, भार्या श्रेष्ठतम सखा,
असहाय लोकेस्मिन्, लोकेस्मिन्, लोकयात्रा सहायिनी।

अर्थात पत्नी पुरुष की अर्द्धागिनी और परम मित्र हैं संसार में जिसका कोई सहायक नहीं, उसकी पत्नी जीवन यात्रा में साथ देती है। पत्नी को पुरुष की अर्द्धागिनी अर्थात् आधा अंग कहकर उसे पुरुष का न केवल अविभाज्य अंग, निरुपित किया गया है, बल्कि उसे बराबरी का दर्जा देकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन पथ पर अग्रसर होने का अधिकार प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र उच्च शिक्षा में कार्यरत शासकीय महिलाओं की संतुष्टि से संबंधित है, अध्ययन से पता चलता है कि महिलायें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में जागरुक होकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र के सेवाओं से वह संतुष्ट है, किंतु मेरा मानना है कि इसमें ओर सुधार की आवश्यकता है ताकि महिलायें अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए शिक्षा क्षेत्र में और अधिक से अधिक अपना योगदान प्रदान कर सकें।

**संदर्भ ग्रंथ सूची–**

1. Natani Prakash Narayan : महिला जागृति और कानून, आविष्कार पब्लिशर्स, 2002.
2. Natani Prakash Narayan : भारत में सामाजिक समस्याएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2000.
3. Sharma Prem narayan and others : महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेंटर, लखनऊ, 2008.
4. Sharma Pragya : महिला विकास और सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2001.
5. Sharma Pragya : भारतीय समाजः चिन्तन और पतन, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2001.
6. Sharma Rajnath : भारतीय समाज, संस्थाएं और संस्कृति, अटलांटिक पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, 2000.
7. Basal, Ku. Manisha : व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के भूमिका संघर्ष का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 2010.